राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 143, 144, 145, 146 व 147/2014 जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स सुपर सेल्स (इण्डिया)जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** उपरोक्त पांचों विविध प्रार्थना–पत्र विभाग ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1704, 1705,1706, 1707 व 1708/2014 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 01.10.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेशों से प्रकरणों में बकाया वसूली राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे। विभाग की ओर से कथन किया गया कि उक्त प्रकरणों में वस्तु की कर दर निर्धारण सम्बन्धी विधिक बिन्दु अर्न्तवलित है,जिसके निस्तारण हेतु प्रकरणों का विस्तृत रूप से अध्ययन व परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिसमें समय लगना संभावित है। अतः उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड द्वारा दी गई अवधि में तीन माह की वृद्धि करने का निवेदन किया गया है। व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है,इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। विभाग की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के विविध प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा अपील संख्या 1704, 1705,1706, 1707 व 1708/2014 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 01.10.2014 में प्रकरणों के निस्तारण की दी गई अवधि, इस आदेश की प्राप्ति से दो माह बढ़ाई जाती है। इस आदेश की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में संलग्न की जावे। विभाग की ओर से प्रस्तुत पांचों विविध प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं। (सुनील शर्मा) सदस्य (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष	